

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 345] No. 345] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASVINA 21, 1937

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2015

सं. बीईई / एस एण्ड एल / सीटीवी / 02 / 2015-16. – कितपय विनियमों का निम्निलिखित प्रारूप, जिसे ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (घ) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका इससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 45 दिन की अविधि की समाप्ति को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सैक्टर-1, नई दिल्ली-110 066 को भेजा जाए।

यदि किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होता है तो ब्यूरो द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीजिवन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है:

4368 GI/2015 (1)

- (ख) "कलर टेलीविजन" से अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपसाधन अभिप्रेत है;
- (ग) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल" से कलर टेलीविजन पर लगाया गया या प्रदर्शित कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (ङ) "लेबल अवधि" से धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानक के अधीन तुलनात्मक ऊर्जा खपत की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि तुलनात्मक ऊर्जा खपत की विधिमान्यता की अवधि की अंतिम अविधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, तो उस अविध के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नए मूल्यों तक विधिमान्य मानी जाएगी;
- (च) "मॉडल या मॉडलों का वर्ग" से किसी विशेष ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की रेंज अभिप्रेत है जिसके संबंध में जांच रिपोर्टों का एकल संवर्ग प्रयोज्य है और जहां प्रत्येक मॉडल के समान भौतिक लक्षण, वार्षिक विद्युत खपत, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों और निष्पादन लक्षण समान हैं;
- (छ) "अनुज्ञाधारक" से ऐसे व्यक्ति या ऐसी अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल लगाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (ज) "स्टार रेटिंग या स्टार लेबल" से कलर टेलीविजन की तुलनात्मक विद्युत खपत को सूचित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक पर आधारित कलर टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;
- (झ) किसी लेबल लगे कलर टेलीजिवन के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे कलर टेलीजिवन की बिक्री या वितरण करता है और जिसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और कलर टेलीजिवन पर लेबल लगाने के लिए अनुमित प्राप्त अनुजाधारक सम्मिलित हैं।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।
- 3. लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां। (1) प्रत्येक कलर टेलीजिवन पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्:-
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
 - (ख) विनिर्माता या आयातक और ब्राण्ड का नाम;
 - (ग) सेंटीमीटर में स्क्रीन साइज;
 - (घ) विनिर्माण या आयात का मॉडल संख्या और वर्ष;
 - (ङ) उपकरण का प्रकार
 - (च) कि. वॉ. घण्टा. प्रति वर्ष में वार्षिक ऊर्जा की खपत
 - (छ) स्टार स्तर;
 - (ज) लेबल की अवधि; और
 - (झ) विशिष्ट श्रृंखला कोड;

- (2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।
- 4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय-सीमा (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरण वाला लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक कलर टेलीविजन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ से ही प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि : -
 - क) बाजार में स्टार स्तर को प्रदर्शित करने वाले पूर्व- संशोधित लेबल वाले कलर टेलीविजन का उपलब्ध स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो गया है या इस पर पुन: लेबल लगाए गए हैं या उस तारीख से पहले बाजार से वापस ले लिया गया है जिस तारीख को संशोधित स्टार स्तर प्रवृत्त है;
 - ख) बिक्री के लिए रखे गए कलर टेलीविजन पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समक्रमण कर पुनरीक्षित स्टार स्तर और संशोधित लेबल अवधि भी प्रदर्शित करेंगे और ऐसे आरंभ से तीन मास पूर्व संशोधित लेबल शुरू किए जाएं;
 - ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह मास पूर्व नियोजित और निष्पादित किए जाएंगे।
- 5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति (1) बिक्री स्थल पर प्रत्येक कलर टेलीविजन पर लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसे लेबल कलर टेलीविजन पर निम्नलिखित रीति में चिपकाए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (क) या तो यह गैर चिपचिपे स्तर पॉप प्रकार या एक स्विंग टैग (टिकाऊ गत्ते) के रूप में यह सामने की ओर संलग्न किया जा सकता है;
 - (ख) पीछे की ओर लगाया हुआ स्व- आसंजक लेबल; और
 - (ग) कार्टन बॉक्स पर लगाया हुआ स्व- आसंजक लेबल।
- (2) प्रदर्शित न किए गए कलर टेलीविजन के लिए, लेबल पेकिंग के बाहर लगाया जाए और जब इसे बिक्री के लिए रखा जाए तो यह लेबल इकाई के साथ लगाया जाए।
- 6. लेबल के प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कलर टेलीविजन पर कोई स्टार नहीं लगाया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, आवेदन प्रपत्र I में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा:

परन्तु कलर टेलीविजन के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा;

- (3) उप- विनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे -
- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलैक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय दो हजार रुपए की आवेदन फीस;
- (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से।
 - परन्तु लघु उद्योग लेबल प्रतिभूति फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगी-; और
- (ग) प्ररूप-1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज ;

- 7. अनुज्ञा की मंजूरी (1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अविध के भीतर, विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररूप-2 या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में कलर टेलिविजन पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा।
 - (2) ब्यूरो, प्ररूप 3 में रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञाधारक का नाम रजिस्टर करेगा;
- (3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा ऐसी अविध के लिए विधिमान्य होगी जिस तक केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिस्चित ऊर्जा खपत मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है;
- (4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन छह मास के भीतर किंतु इस अविध की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा। और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की फीस लगी होगी;
- 5) विधिमान्यता अविध की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को नवीकृत किया जाएगा, ऐसे मामले में अनुज्ञाधारक नया आवेदन करेगा;
- (6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अविध के भीतर प्ररूप-॥ में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;
- (7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से कलर टेलीविजन के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर प्रवृत्त हुआ है, केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- (8) यदि कलर टेलीविजन के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार लेबल के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेनी होगी और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार लेबल के प्रवृत्त होने से छह मास पूर्व किया जाए।
- 8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए बंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञाधारक और व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:-
 - (क) कलर टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कलर टेलीविजन के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे; ;
 - (ख) यह लेबल कलर टेलीविजन के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;
 - (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और कलर टेलीविजन पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि कलर टेलीविजन पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल हर समय बना रहेगा;
 - (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भृत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
 - (छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को प्राधिकृत वितरकों, डीजरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सुची मुहैया करेगा;
 - (ज) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगे जिसे ब्यूरो, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की नियम पुस्तिका में विनिर्दिष्ट किए गए हों;
- 9. लेबल फीस- (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को कलर टेलीविजन पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए 10 रुपए का लेबल फीस भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी:

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपधारा 3 के खंड ख के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभृति फीस से प्रतिवर्ष दस प्रतिशत ब्याज सिहत संदत्त शोध्य रकम वसूल कर सकेगा। यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर पूरा लेबलिंग फीस वसूल नहीं किया जाता तो ब्यूरो अनुज्ञाधारक को स्वीकृत सभी लेबल रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम व्यक्तिक्रम करने वाले के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

- 10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय :- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के परन्तुक के अध्यधीन, अनुज्ञाधारक कलर टेलीविजन का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभृति फीस का प्रतिदाय का हकदार होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो या उसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, स्वप्नेरणा से या उसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि कलर टेलीविजन इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और यह कि वह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में हैं।
- (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या विनिर्माता सुविधा से उसकी नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा जैसे वह उचित समझे, भण्डारगृह या फुटकर विक्रय केन्द्र से यादच्छिक तौर पर सम्यक रूप से नमूने एकत्र करेगा;
- (3) जहां उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो द्वारा जांच और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला की कलर टेलीविजन जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की गई हो और यदि जांच परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने असफल रहते हैं तो ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो पूर्वोकत व्यय शिकायतकर्ता को प्रतिदाय करेगा और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय समपहृत कर लिए जाएंगे;
- (4) जहां जांच के लिए कलर टेलीविजन के नमूने स्वप्नेरणा से परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहते हैं, अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त कलर टेलीविजन के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा;
 - (5) जहां, दूसरा परीक्षण असफल होता है, ब्यूरो,-
 - (क) प्ररूप 5 में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य के सभी नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को निदेश देगा कि अनुज्ञाधारक दो मास की अवधि के भीतर,
 - (i) कलर टेलीविजन के लेबल पर सही स्टार लेबल प्रदर्शित करेगा या परीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटियों और ख़ामियों को दूर करेगा;
 - (ii) ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
 - (iii) विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।
 - (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिदेश किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचारपत्र या इलेक्ट्रोनिक साधन अथवा जैसा उचित समझे किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा;
 - (ग) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरण को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक न्यायनिर्णयन कार्यवाही करने के लिए सूचित करेगा।
 - (6) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिन के भीतर,-

- (क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
- (ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निदेशों का अननुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा उस प्रभाव के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
- (7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को उप विनियम (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में पारित आदेश की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और उक्त उप विनियम के खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेशों का प्रवर्तन करेगा;
- (8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप विनियम (5) के अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन में असफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को सूचना देते हुए -
 - (क) विनियम 7 के उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञाधारक को मंजूर की गई अनुमति वापस ले लेगा;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञाधारक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेजेगा।
 - (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से जैसा उचित समझे, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिदेश प्रकाशित करेगा।
 - (घ) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट अभिकरणों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरूद्ध आगे अधिनिर्णयन कार्यवाही आरंभ करने के लिए सूचित करेगा।
- 12. अनुज्ञा का रद्दकरण .-

ब्युरो विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा, यदि अनुज्ञाधारक -

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में असफल रहता है;
- (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करता है।

प्ररूप I [विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कलर टेलिविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 के अधीन कलर टेलिविजनों पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

महा निदेशक				
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, से	ता शतन मेक्टर 1 थार	के गरम		
नई दिल्ली – 110 066	पा मपग,सफ्टर – 1, जार.	भः. पुरम		
भारत				
4100				
मैं / हम				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			टेलिविजनों का/के विनिर्माता अथवा आयात	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कलर टेलिविजनों के लेबर टेलिविजनों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुम	ाति पाने हेतु आवेदन करत	ा हूं / करते हैं।		
2. विनिर्माणकारी सुविधा : उपरोक्त	उपस्कर (कंपनी का नाम) द्वारा	विनिर्मित या आयातित है और	(कारखाने
का नाम और पता) में विनिर्मित है।				
3. सूचना के ब्यौरे : उपस्कर, कंपनी	, विनिर्माण सुविधा, परीः	क्षण उत्पादों के लिए	प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में ि	वेस्तृत सूचना
उपाबध में दी गई है। फर्म का रजिस्ट्रार अथवा दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न है जो फर्म का न				वा अन्य सदृश
क) आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति :		(नाम और पदनाम)	कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन	करने के लिए
प्राधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ दी गई	सूचना की शुद्धता और अ	धिप्रमाणिकता के लिए	, उत्तरदायी होगा।	
	(नाम और पदन	गाम) इस आवेदन और	लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ	समन्वय करने
के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।		0 3 3 0 0 0		
	में परिभाषित प्राधिकृत व्य	क्तियों में किसी परिव	र्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वच	न देता हूं/ देते
हैं। • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,			7.
			_ (अधिसूचना का शीर्ष) के संबंध में अधिसू	
विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (मानक का नाम और				
अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। स मैंने / हमने, उपस्कर की क्वालिटी की निरंतर				
	=			एवाएल द्वारा
समक्रमणित प्रयोगशाला (प्रयोगशा	लाकानाम आरपता)म प	।राक्षण हतु व्यवस्था	कर ला हा	
स्वतंत्र प्रयोगशाला का ब्यौरा :				
क) समक्रमण की प्रास्थिति :				
ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :				
5. मेरी/ हमारी जानकारी और प्राक्कलन के	अनुसार, उक्त उपस्कर के	उत्पादन और बिक्री	संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार	हैं :
वर्ष	उत्पादन	विक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)	
से तक अंतिम वर्ष				
तक चालू वर्ष (अनुमान)				
 (क) मांग पत्र सं तारी 	ख /	इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वार	ा दो हजार रुपए के आवेदन शुल्क और ल	गागुसेवा कर
का संदाय क		· ·		•
(ख) मांग पत्र सं तारीख	इलेक्ट्रॉनि	क ढंग द्वारा एक लाख	a / पच्चीस हज़ार रुपए की लेबल प्रतिभति र	जमाशुल्कका
संदाय कर दिया गया है।		•		9
(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस रुपए	ए प्रति लेबल के लेबलिंग शु	ल्क का संदाय करने कं	ो सहमत हूं <i>!</i> हैं।	

- 7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण पर आक्षेप करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।
- 9. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख	 दिवस	 (वर्ष)

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
के लिए और उनकी ओर र	
कालए आर उनका आर र (फर्म का नाम	
,	
फर्म की मुह	•

भवदीय,

उपाबंध (प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए)

जानकारी के विवरण

1. उत्पाद/उपस्कर के विवरण

1.1 साधारण

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
स्क्रीन का साइज (सेंटीमीटर)	
स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटीमीटर)	
लुमिनेंस अनुपात	
ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल (हां / नहीं)	
वोल्टेज / वोल्टेज रेंज	
विनिर्माण का वर्ष	
बी आई एस प्रमाणपत्र के ब्यौरे (यदि कोई हों)	
(लाइसेंस / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरे	
(लाइसेंस / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
ऊर्जा खपत (प्रति वर्ष कि. वॉ. घं.)	

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

1.2 तकनीकी ब्यौरे

क्र. सं.	मॉडल का		म	ापे गए मान			घोषित	मूल्य		टिप्पणियां
	नाम / संख्या							-		
	संख्या	स्क्रीन का	स्क्रीन का	ऊर्जा खपत (कि.	स्टार लेबल	स्क्रीन का	स्क्रीन का	ऊर्जा खपत रिकास	स्टार	
		साइज (सें. मी.)	क्षेत्रफल (वर्ग सेंटी	वॉ. घं. / वर्ष)	या मापित ऊर्जा दक्षता	साइज (सें. मी.)	क्षेत्रफल (या वर्ग	(कि. वॉ घं. / वर्ष)	लेबल या	
		(मीटर)		स्तर	()	सेंटी	,,,,	मापित	
							मीटर)		ऊर्जा	
									दक्षता स्तर	
									(((

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं	
ई-मेल वेबसाइट	
वेबसाइट	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरे	

4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

T. 914 A41441011 1/ 941 (
जांच प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति	
(प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की विधिमान्यता	
(समर्थन दस्तावेज संग्लन करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

_	•	•	4.
5.	लबल	क	ब्यार

प्रारंभ की तारीख	
बी ई ई के लिए अनुप्रयुक्त लेबलों का नाम	
पहले वर्ष के लिए –	
दूसरे वर्ष के लिए 🗕	
तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद सीरिज सं.	से तक

6. संदाय के ब्यौरे

	कुल रकम	संदाय के ब्यौरे (डिमांड ड्राफ्ट के ब्यौरे/इलेक्ट्रॉनिक संदाय के ब्यौरे)
आवेदन फीस		
प्रतिभूति जमा		

गरीख	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम के लिए और उनकी ओर से
	(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

प्ररूप 2 [विनियम 7 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलिविजनों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 के तहत कलर टेलिविजन पर लेबल लगाने की अनुमति / अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली,	तारीख: .	 	 	٠	

स	0	Π	. 1	₹,															
			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
									٠										

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ब्यूरो (कलर टेलिविजनों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) (कलर टेलिविजनों पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2015 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस प्ररूप ।। के साथ अनुबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करता है।
 - 2. यह अनुमति निम्नलिखित के अध्यधीन है —
 - (क) कलर टेलिविजन के लेबल पर दर्शाया गया सटार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन कलर टेलिविजन के लिए अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों और उल्लिखित निबंधनों/विनियमों में दिए गए निबंधनों व शर्तों को पूरा करता हो;
 - (ख) लेबल कलर टेलिविजन के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है;
 - (ग) लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और कलर टेलिविजन पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि कलर टेलिविजन पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;
 - (ङ) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल दस रुपए फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल धारक उपस्कर के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से अगले माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी।
 - (छ) अनुज्ञाधारक कलर टेलिविजन के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुमित प्रदान की गई है, जैसे और जब भी ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, भी प्रदान करेगा।

उपाबंध (प्ररूप 2 का पैरा 1 देखिए)
(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
6तारीखमासमास वर्ष को हस्ताक्षरित मुहरबंद और तारीखबद्ध
(ख) जहां उपातंरित स्टार स्तर लागू करने के लिए विद्यमान मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास प्रारूप ।V में घोषणा ही प्रस्तुत की जाएगी।
(क) यदि संशोधित स्टार स्तर के सामंजस्य में नया मॉडल शुरू किया जाता है, ऐसी अनुमति के लिए ब्यूरो के पास उस तारीख से छह माह अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
उपांतरित होगा:-
 जहां ब्युरो द्वारा पुनरावलोकन के अधीन स्टार स्तर योजना को उपांतरित किया गया है, कलर टेलिविजन का स्टार स्तर निम्नानुसार
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार उपस्कर के लिए समनुदेशित की गई विशेष लेबल श्रृंखला कोड है और यह लेबल पर अनुमोदित डिजाइन के अनुसार दिखाई देनी चाहिए।
3. यह अनुमतिसेसेसे तक विधिमान्य होगी और विनिर्देशों के अनुसार इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञाधारक, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन से छोड़कर, कलर टेलिविजन को बाजार से नहीं हटाएगा।

अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
स्क्रीन का साइज	
स्क्रीन का क्षेत्रफल	
बोल्टेज / बोल्टेज रेंज	
विनिर्माण का वर्ष	


क्र. सं.	मॉडल			गए मान			घोषित	। मूल्य		टिप्पणियां
	का नाम	स्क्रीन का	स्क्रीन का	ऊर्जा खपत	स्टार	स्क्रीन का	स्क्रीन का	ऊर्जा	स्टार	
	/ संख्या	साइज	क्षेत्रफल	(कि. वॉ. घं. /	लेबल या	साइज	क्षेत्रफल	खपत	लेबल या	
		(सें मी.)	(वर्ग सेंटी	वर्ष)	मापित	(सें मी)	(वर्ग सेंटी	(कि वॉ	मापित	
			मीटर)	-	ऊर्जा		मीटर)	घं. / वर्ष)	ऊर्जा	
			-		दक्षता				दक्षता	
					स्तर				स्तर	

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम/संख्या	

स्टॉर लेबल	
स्क्रीन का साइज	
स्क्रीन का क्षेत्रफल	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा खपत (कि. वॉ. घं. प्रति वर्ष)	
लेबल की अवधि	

3. कलर टेलीविजन पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है।



पत्र में यूनिक लेबल श्रृंखला कोड दिया गया है जिसे कलर टेलीविजन पर लगाए गए लेबल पर उल्लेख किया गया है।

4. लेबल और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो लोगो की कलर स्कीम के लिए उपयोग की जाने वाली लेबल डिज़ाइन साइज कलर स्कीम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

0	
ताराख	

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 3 (विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखिए) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र. सं	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञाधारकों का नाम और ब्यौरे (संपर्क ब्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपस्कर के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है	स्टार लेबल या घोषित दक्षता स्तर	बी ई ई अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल सीरिज	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति फीस की रकम	(क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त की गई लेबल प्रतिभूति फीस	प्राप्त आवेदन फीस की रकम	(क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त आवेदन फीस की रकम के ब्यौरे
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बी ई ई के लिए शोध्य और संदेय फीस के लेबलिंग की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे)/इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस, ब्यौरे	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखिए] अनुज्ञाधारक द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा (प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाए।) (निगमित निकाय / अनुज्ञाधारक के लेटर हैड पर)

तारीख:

सेवा में,
महा निदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 केसे प्रभावी स्टार लेबल में पुनरीक्षण के संबंध में लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

- 1. मैं/हम [ब्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] के अभिनाम से [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में कारबार करने वाला/वाले कलर टेलीविजन का/के विनिर्माता / आयातक हूं / हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां) विनियम, 2015 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कलर टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जिसमें से प्रभावी स्टार लेबल में पुनरीक्षण होगा।
- 2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया गया है
- 3. नए स्टार लेबल का अनुपालन: मैं / हम सारणी के अनुसार सारणी परिवर्तन की पृष्टि करता हूं/करते हैं जैसा कलर टेलीविजन के लिए का.आ. संख्या तारीख में विनिर्दिष्ट है। उपरोक्त उपस्कर के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
- 4. कलर टेलीविजन के संबंध में बीईई लेबल (स्टार लेबल परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है।
- 5. स्टार लेबल के पुनरीक्षण के अनुसार उपस्कर/मॉडल का ब्यौरा।

मॉडल का नाम -

विशिष्टियां		घोषित मान
स्क्रीन का साइज (सेंटीमीटर)		
स्क्रीन का क्षेत्रफल (वर्ग सेंटीमीटर)		
वार्षिक बिजली खपत (कि. वॉ. घं. / वर्ष)		
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेबल के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार लेबल के अनुसार)

- 6. मैं/हम अपने स्टार लेबल में मैनुअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वैब पोर्टल में [विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर] परिवर्तित करने को सहमत हूं/हैं।
- 7. मैंने/ हमने कथित कलर टेलीविजन मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग फीस जमा करा दिया है।
- 8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, तो उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।
- 10. मैं/हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख:

दिन (वर्ष)
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

.....

प्ररूप 5

[विनियम 11 का उप-विनियम (5) देखिए]

अनुज्ञाधारक को दूसरे जांच परीक्षण में असफल रहने पर निदेश

सेवा में,	नई दिल्ली, तारीख:
• •	प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण मे । करने के अधीन रहते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके पत्र सं द्वारा
2. ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों प	पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 के विनियम के अधीन आपके
बीईई स्टार के लेबल वाला कलर टेलीविजन खरीदकर, ब्यृ टेलीविजन पर आपके द्वारा लगाया गया था, पर प्र	रुपए की कीमत की तारीख की इनवॉयस संख्या द्वारा पूरो द्वारा उल्लिखित विनियम के विनियम 3 के अधीन लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए कलर दर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए नियुक्त अभिकरण, मैसर्स द्वारा था। मैसर्स से श्रृंखला सं. मैसर्स का सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना, मैसर्स
•	था। मसस स श्रृंखला स. मसस का सम्यक रूप स मुहरबंद नमूना, मसस ापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुआ था।

3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूना मैसर्स, एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला को का. आ. संख्या तारीख के पैराग्राफ 3 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, का. आ. संख्या तारीख के उपबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।
4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले कलर टेलीविजन प्रति वर्ष विद्युत इकाइयों की खपत, मानक, विनिर्दिष्ट सकल परिमाण और भंडारण परिमाण आदि को पूरा नहीं करते और यह आपके द्वारा विनिर्मित/ आयातित कलर टेलीविजन के संबंध में लेबल लगाने के लिए मांगी गई अनुमित के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच के व्यौरे की पृष्टि नहीं करते। वीईई के तारीख के पत्र सं द्वारा जांच के परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता है कि एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स
5. हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स द्वारा तारीख वारा तारीख को दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद कर एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त कथित नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।
6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के रूप में आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का.आ. संख्या तारीख में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित/आयातित एवं बिक्री कलर टेलीविजन पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करते।
7. अत:, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियमन 2015 के विनियम 11 के उप- विनियम (5) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो आपको निम्नलिखित का पालन करने का निदेश देता है:-
 (i) कलर टेलीविजन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और किमयों को दूर करें; (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और (iii) विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित किए गए विशिष्टियों में परिवर्तन करें।
8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के बाद 10 दिन के भीतर अर्थात् तक प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि कथित तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 के विनियम 11 के उपविनियम (6) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करेगा। 9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2015 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) (6) (7) और (8) के निबंधनों के अनुसार, मामले में आगे और कार्रवाई करेगा।

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट

प्ररूप 6

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

[विनियम 11 के उप नियम (6) देखिए]

(संगठन के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,	तारीख:
सचिव	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)	
चौथा तल, सेवा भवन,	
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम	
नई दिल्ली - 110 066	
भारत	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) वि मेसर्स कलर टेलीविजन के विनिर्माता की लिए तारीख मॉडल संख्या द्वारा स्टा गई थी।	ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप बीईई पत्र सं के
विनियम, 2015 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टि के अनुसरण में, हम आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई पत्र संख्या जारी किए गए निदेश को ध्यान में रखते हुए, हम घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न कार्	तारीख द्वारा निदेश दिया गया। बीईई द्वारा

	निदेशित कार्रवाई	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ कलर टेलीविजन के स्तर पर प्रदर्शित सही स्टार लेबल	हां / नहीं / लागू नहीं होता	स्टार लेबल (तारीख) से प्रभावी स्टारतक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हां / नहीं / लागू नहीं होता	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे बदलें।	हां / नहीं / लागू नहीं होता	हां / नहीं / लागू नहीं होता

उपरोक्त घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम


कंपनी का नाम / फर्म आदि के लिए और उनकी ओर से

फर्म / कंपनी की मुहर।


अनुसूची [विनियम 3 के उप नियम (2) देखिए)] कलर टेलीविजन के लेबलों पर प्रदर्शित की गई विशिष्टियां

(1) लेबल डिजाइन

(i) आयाम:



(ii) कलर स्कीम :



(iii) बी ई ई लोगो की कलर स्कीम:

नीला –

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S):64% ब्राइटनेस(B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) :28, क्रोमेटिक पुर्जें -a:24 b:54

लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1%

वेब कलर कोड - #363797

हरा -

ह्यू (H)- 150° सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जें -a: 53 b:32

लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

(2) लेबल सामग्री

लेबल, टिकाऊ गत्ते का होगा, यदि यह एक स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जा रहा है, या स्वयं लगाने वाला हो सकता है और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई रूपरेखा में से एक को काटा जाएगा।"

[विज्ञापन-III/4/असा./185/15(234)]

अजय माथुर, महानिदेशक

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2015

No.BEE/S&L/CTV/02/2015-16.—The following draft of certain regulations, which the Bureau, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be addressed to Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhavan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110 066.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Bureau.

Draft Regulations

- 1. Short title and commencement,-(1)These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Colour Televisions) Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
 - 2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "colour television" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
 - (c) "Form" means a form appended to these regulations;
 - (d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, Colour Television;
 - (e) "label period" means the validity period of the annual energy consumption under energy consumption standard specified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the annual energy consumption is not specified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are specified by the Central Government;
 - (f) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics;
 - (g) "permitee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

- (h) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the colour television based on energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 of the Act to denote the annual energy performance of colour televisions;
- (i) "trader or seller" in relation to any labelled colour television means a person who sells or distributes any such colour television and includes the shopkeeper,trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such colour television.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Particulars to be displayed on the label.- (1) On every colour television the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) name of manufacturer or importer and brand;
 - (c) screen size in centimeter;
 - (d) model number and year of manufacturing or import;
 - (e) equipment type;
 - (f) annual electricity consumption in kWh per year;
 - (g) star level;
 - (h) label period; and
 - (i) unique series code.
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the schedule annexed to these regulations.
- 4. Time limit for display of labels.-(1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every colour television within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- (2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that-
 - the stock of colour television available in the market with pre-revised label displaying the star level is fully exhausted or re-labelled or withdrawn from the market before the date from which the revised star level comes into force;
 - (b) the colour television put on sale shall also display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and introduce revised label period three months prior to such commencement;
 - (c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement under these regulations.
- 5. Manner of display of label.-(1) On every colour television, shall be displayed label at the point of sale and such label shall be affixed on the colour television in the following manner, namely:-
 - (a) either non-sticky level pop type or it may be attached as a swing tag (Durable cardboard) on the front side;
 - (b) self-adhesive label affixed on the back side; and
 - (c) self-adhesive label affixed on the carton box.
- (2) For colour televisions not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.

- 6. Permission for display of label.-(1) No star label shall be affixed on a colour television without obtaining the prior permission of the Bureau.
- (2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1) an application shall be made in Form-I and in electronic form:

Provided that separate application shall be made for each model of colour television.

- (3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by
 - (a) an application fee of rupees two thousand shall be payable by demand draft in favour of Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any acceptable electronic mode of payment;
 - (b) a label security fee of one lakh rupees payable by demand draft in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; or by any acceptable electronic mode of payment:
 - Provided that in case of small scale industry label security fee shall be only twenty five-thousand rupees; and
 - (c) documents specified in Form 1.
- 7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on colour television in Form II or in electronic form.
 - (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
- (4) An application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favor of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall apply a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- (7)The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the colour television from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the colour television is planned to be launched to synchronize with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- 8. Terms and conditions for display of particulars on label. Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-
 - (a) the star level displayed on the label of colour television shall conform to energy consumption standards for colour television notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of colour television for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the colour television at the cost of the permittee:
 - (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of colour television shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;

- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.
- 9. Label fee.-(1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of ten rupees for each label affixed on the colour television.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

- 10. Refund of label security deposit.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture colour television.
- 11. Verification by the Bureau (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the colour television conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
- (2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail oulet as it deems fit.
- (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge the colour television testing in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL), a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.
- (4) Where samples of colour television used for testing fails the test during suo-motu testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of colour television used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL) at the cost of the permittee.
- (5) Where the second test fails, the Bureau shall,-
 - (a) direct the permitte in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the Colour Television or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
 - (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;
 - (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

- (6) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-
 - (a) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.
- (8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of EC Act by the Central Government:
 - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner it deems fit within two months;
 - (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of permission.-The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
 - (c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

FORM I

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on colour television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Televisions) Regulations, 2015

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government. of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector – 1, R.K.Puram
New Delhi-110 066
India.

	I/	We	are	the	manufacturers	or	importers	of	Colour	Televisions	carrying	out	businessat
					(full bu	sines	ss address) u	nder	the style	of			(full
name of	indi	vidual	l or fii	m) he	reby apply for p	ermis	ssion to affix	lab	el on colo	ur televisions	as specified	l by th	e Bureau in
he Bure	au o	f Enei	rgy Ef	ficien	cy (Particulars a	nd M	anner of Dis	play	on Label	of Colour Tele	evisions) Re	egulati	ions, 2015.
2.	Ma	nufac	turing	Facil	ity: The above	equij	oment is ma	nufa	ctured or	imported by		(N	lame of the
compan	y) an	d is m	nanufa	cture	l at	(N	Vame and add	dress	of the fac	tory)			

3. Details of Information: The defacility, certification for the test products incorporation issued by the Registrar of Fother documents authenticating the name	s, labels and paymentirms or Societies/Dis	nt is given in Annex rector of Industries (in case of Small Scale Units)	rtificate of
(a) Applicant/Authorised Person: _application on behalf of the company/fire supplied with this application.				
(b) Contact Person:coordination with the Bureau in respect or	(Name	e and Designation) d the use of the Labe	is the authorised contact	person for
(c) I/We undertake to intimate to the	Bureau of any chan	nge in the authorised	persons defined in (a) or (b)	above
4. Conformance to Standards: I/W respect of Quality System/Other standards as specified in the Notific (name of the equipment). A copy of the I	lards in accordance cation on License / certificate i	e with IS/Others ((title of the above	name and number of the of the Notification) for the equipment is enclosed.	standard)
I/We have made arrangement for testi laboratory (Name and address				
Independent Laboratory details: a) Test details(Test procedures/nam	ne/number)			
b) Accreditation status:				
c) Bureau of Energy Efficiency app	proval:			
5. Production and sales figures of estimates are as follows:	the said equipment a	and the value thereo	f to the best of my/our know	wledge and
Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)	
	Production	Sales		
Year Last year from to Current year from to	Production	Sales		
Year Last year from to Current year from				
Year Last year from to Current year from to			(Rs.)	/
Year Last year from to Current year from to (estimate) 6. (a) An application fee of two thouselectronic mode. (b) A label security fee of one lakh rupee	sand rupees and p	oaid by D.D. No	(Rs.)	
Year Last year from to Current year from to (estimate) 6. (a) An application fee of two thouses	sand rupees and p	naid by D.D. No	(Rs.) dated has	
Year Last year from to Current year from to (estimate) 6. (a) An application fee of two thouselectronic mode. (b) A label security fee of one lakh ruped by D.D. No dated	sand rupees and p es/twenty five thousa/electronic n Rupees Ten per labe and conditions spe	paid by D.D. No and node. If as specified by the specified by the Burea	dated has	s been paid
Year Last year from to Current year from to (estimate) 6. (a) An application fee of two thouselectronic mode. (b) A label security fee of one lakh ruped by D.D. No dated (c) I/We agree to pay the labelling fee of 17. I/We agree to abide by all the terms	sand rupees and p es/twenty five thousa/electronic n Rupees Ten per labe and conditions spe quiry to be made by i	paid by D.D. No and node. It as specified by the scified by the Burea it.	dated has Bureau.	s been paid
Year Last year from to Current year from to (estimate) 6. (a) An application fee of two thouselectronic mode. (b) A label security fee of one lakh ruped by D.D. No dated (c) I/We agree to pay the labelling fee of the security fee of one lakh ruped by D.D. No dated 7. I/We agree to abide by all the terms operation to the Bureau in case of any enders. 8. I/We authorise the Bureau of Energy	sand rupees and p es/twenty five thousa/electronic n Rupees Ten per labe and conditions spe quiry to be made by in Efficiency for selected in this regard.	andnode. It as specified by the excified by the Burea it. Section of sample for eation is accurate to the excitation of the excitation is accurate to the excitation is accurate	dated has Bureau. u and extend necessary assoverification and challenge to	s been paid istance/co- testing and

I ours faithfully.	Yours	faithfull	v,
--------------------	-------	-----------	----

Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf of	

(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Annexure [See para 3 of Form 1] Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Luminance Ratio
Automatic Brightness Control (Yes/No)
Voltage / Voltage Range
Year of manufacturing
BIS certificate details (if any)
(Attach copy of the License / Certificate)
Quality System certificate details
(Attach copy of the License / Certificate)
Energy Consumption (kWh per Year)

1.2 Technical details

S1.	Model		Mea	asured Values		Declared Values				Remarks
No.	Name/									
	No.	Screen Size (cm)	Screen Area (sq cm)	Energy consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level measured	Screen Size (cm)	Screen Area (or sq cm)	Energy consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level measured	

2	Details	of the	Company
4.	Details	or the	Company

Name of the Company:	
Address	

ૄમાય III—હાળ્ડ 4]	भारत व	का राजपत्र : असाधारण
Pin Code	<u> </u>	
State		
Phone No.		
Fax No.		
E-Mail		
Web site		
Web site		
3. Details of the manufactu	ring premise	
Address		
Pin Code		
State		
Phone No.		
Fax No.		
E-Mail		
Web site		
Any other details		
4. Details of Test Laborator	ry	
Name of the test Laboratory		
A 1'4-4' 4-4		
Accreditation status	antificata)	
(Attach copy of the accreditation of	sertificate)	
Validity of the accreditation		
(Attach supporting document)		
Address		
rudiess		
Pin Code		
State		
Phone No.		
Fax No.		
E-Mail		
Web site		
5 Labeling information		
5. Labeling information Date of commencement		
Number of labels applied for BEF	3	
for the first year -	,	
for the second year -		
for the third year -		

To

From

Product Serial No.

6. F	Payment	d	leta	ils
------	---------	---	------	-----

	Total Amount	Details of Payment (DD details / electronic payment details)
Application Fee Security Deposit		
Security Deposit		

Date	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

FORM II

[See regulation 7]

Permission / Renewal of Permission to affix label on colour television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Televisions) Regulations, 2015

	New Delhi, dated the
То	

- 1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Televisions) Regulations, 2015, the Bureau hereby permits you to affix label on the colour televisions as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
 - 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the colour television shall conform to energy consumption standards for colour television notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of colour television for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the colour television at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the colour television shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of ten rupees per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;

- (g) the permittee shall make available such other details of colour television as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 3. This permission shall be valid for from to and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the colour television from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
- 4. The unique label series code assigned by BEE for the equipment is............... and should appear on the label as per the approved design.
- 5. where the star level plan is on review is modified by the Central Government, the star level of the colour television shall stand modified as follows:-
 - (a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 - (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
- 6. Signed, sealed and dated this...... day ofmonth...... year.

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

Annexure [See para 1 of Form II] Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Screen Size
Screen Area
Voltage / Voltage Range
Year of manufacturing


S1.	Model	Measured Values				Declared Values			
No.	Name/	Screen Screen Energy Star I			Star Level	Screen	Screen	Energy	Star Level
	No.	Size	Area	consumption	or Energy	Size	Area	consumption	or Energy
		(cm)	(sq.	(kWh/Year)	Efficiency	(cm)	(sq	(kWh/Year)	Efficiency
			cm)		Level		cm)		Level
				measured				measured	

2. Label Details

Equipment	
Туре	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Star level	
Screen size	
Screen Area	
Year of manufacturing	
Energy Consumption (kWh per year)	

Label Period

3. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the colour television is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the colour television.

of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.	
Date	
	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme

FORM III [See sub-regulation (2) of regulation 7] Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application	Name and	Details of	Star level or	BEE	Period for which
	No. and Date	details of the	equipment	Efficiency	permission	the permission
	of Permission	permittee	for which	level	number and	has been granted
		(Contact	the	declared	unique label	
		Person,	permission		series	
		Address, Pin	has been			
		Code, State,	granted			
		Phone No.,				
		Fax No., E-				
		mail,				
		Website)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	•					

Amount of Label Security fee	Label Security Fee received by (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details): Date:)	1.1	Amount received (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction
			(Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels	Amount of labeling fee	Labelling fee, details	Remarks
affixed during each	due and payable to BEE	received for each	
financial year	for each financial year	financial year (Crossed	
		Demand Draft	
		(Details)/ Electronic	
		transaction (Details):	
		Date:)	

Ī	(12)	(13)	(14)	(15)
ı				

Form IV [See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:

TO
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K. PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Televisions) Regulations, 2015 on revision of star level effective from

- 2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
- 3. Conformance to New star level:I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. numberdated......or colour television. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the colour television is enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values		
Screen Size (centimeter)			
Screen Area (square centimeter)			
Annual Electricity Consumption (kWh/year)			
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)	

- 6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said colour television model.
- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:	Day of(Year)
	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm) SEAL OF FIRM
FORM V	
[See sub-regulation (5) of regulation	
Direction to Permittee on failure of Second	ond check testing
То	New Delhi, dated the
Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency Colour Televisions) Regulations, 2015 you were permitted letter Nodated subject to the compliance of the terms and	to affix label on the colour television vide BEE conditions specified therein.
2. The Bureau, under Regulation of the Bureau of Energy Efficiency Colour Televisions) Regulations 2015, had purchased a BEE star libitor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a datedby M/s, an agency appointed by the Bureau fo label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you o sample duly sealed by M/s bearing serial number was of dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of	abelled colour television from your authorised price of Rs and lifted as a sample or verification of the particulars displayed on the n the aforesaid purchased colour television. The btained from M/s(Name of the Distributor,
3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported, a NABL accredited laboratory for conducting tests in accor paragraphs 3 of S.O. numberdated for giving Test Report in a Annexure to S.O. number	dance with the test procedure indicated in
4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identife the Test Report indicated that the sampled colour television failed to me standby mode power, on mode power etc. and did not conform to the to the Application submitted by you for seeking permission manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide name of your authorised Contact person. You were also request Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory M/s	neet the energy consumption standard, specified Test details furnished by you in Form 1 annexed to affix label on the colour television as BEE letter No

5. Th	e Sample	for second c	heck verification	on Test were	picked	d up on					lated
(DD/I	MM/YYY	Y) the		through	our a	uthorise	d Agency M	M/s	and	transporte	ed to
the	NABL	accredited	Laboratory	transported	by	our	authorised	d Agency,	duly	sealed	by
M/s						and w	as given U	Jnique Identit	fication	serial nur	mber
embo	ssed on th	e said sample	obtained from		und	er signa	tures of the	duly authorise	ed repres	sentative o	of the
verifi	cation Age	ency as well a	s your represen	tatives.							

- 6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test reports are also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number dated....and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the colour television manufactured and sold in the market .
- 7. In exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Televisions) Regulations, 2015, you are hereby directed to comply with the following:
- (i) correct the star level displayed on the label of the colour television or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5), (6), (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Televisions) Regulations, 2015.

Secretary, Bureau of Energy Efficiency

Dated.....

Enclosures:

1. Test reports of the failed model

Form VI

Action Taken Report
[See sub-regulation (6) of regulation 11]
(To be furnished on letter head of the organisation)

To
THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of display of Label on Colour Television) Regulations, 2015, we M/s.....the manufacturer of colour televisions were permitted to affix label on the colour television conforming to the energy

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the colour television to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.


Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
Name of the Co./Firm etc
Seal of the Firm/Co.".

Schedule [See sub-regulation (2) of regulation 3]


Particulars to be displayed on labels of colour television.

(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Colour scheme:



[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

(iii) Colour scheme of BEE logo:

BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59% Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54 Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151 Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1% Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67% Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32 Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87 Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1% Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".

AJAY MATHUR, Director General [ADVT-III/4/Exty./185/15(234)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.